

**निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक  
कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द**

प्र0सं0 53/2019/प्रा0पत्र/

निर्णय दिनांक :- 16.09.2019

**अनवान**

1. श्री देवी सिंह पिता श्री अमर सिंह जी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दौला जी का खेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री पूरण सिंह पिता श्री अमर सिंह जी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दौला जी का खेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्रीमति मगन कंवर पत्नि स्वर्गीय अमर सिंह जी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दौला जी का खेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

—प्राथीगण

**बनाम**

1. श्री भोमसिंह पिता श्री शिवसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दौला जी का खेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री दलपत सिंह पिता श्री हुक्म सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दौला जी का खेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्री बगतावर सिंह पिता श्री नाहर सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. श्री गुलाब सिंह पिता श्री पुनम सिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी बीड देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

—विपक्षीगण

210  
सहायक कलेक्टर  
देवगढ़, जिला राजसमन्द

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज.ले.एक्ट**

उपस्थित :- 01. श्री ओम प्रकाश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम बीड देवगढ़ पटवार हल्का स्वादडी बी तहसील देवगढ़ में प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित हैं जिसके खाता नम्बर 107/95 के आराजी नम्बर 154/35 रकबा 20.04 विस्वा भूमि स्थित हैं। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी होकर प्रार्थी का कब्जा कास्त हैं एवं इसका उपयोग - उपभोग भी प्रार्थी ने ही कर रखा हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर निर्वाध रूप से कास्त करता चला आ रहा हैं किन्तु प्रार्थीगण की उक्त भूमि क चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की भूमि से लगते हुऐ पडौसी हैं हर समय फसल बुवाई एवं कटाई के सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थीगण को अनावश्यक मुकदमों के लिये विवश होना पडता हैं। मौके पर अशान्ति रहती हैं जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक कास्त भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि को अपना बनाकर नाजायज अतिक्रमण करने की मंशा रखता हैं एवं अनावश्यक विवाद पैदा करता हैं जबकि उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिये प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। भूमि की पत्थरगढी हो जाने पर सीमा संबंधी जो विवाद हैं वह हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा और प्रार्थीगण अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक कास्त कर सकेगा। अतः


प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। विपक्षीगण संख्या 2,3को जारी सम्मन तामील हो जाने पर अनुपस्थित व विपक्ष संख्या 1 का नाम गलत होने से एवं विपक्षी संख्या 4 के मकान पर ताला लगा होने से अदम तामील प्राप्त हुई एवं इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण में बहस की विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस में तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं। कभी प्रार्थीगण की भूमि को हांक लेते हैं कभी घास फसल वगैरह काट लेते हैं। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी हो जाती हैं तो सीमा संबंधी जो विवाद हैं वो हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा और प्रार्थी शान्तिपूर्वक उसकी भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें तथा प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। ग्राम बीड देवगढ़ पटवार हल्का स्वादडी बी तहसील देवगढ़ की जमाबन्दी उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम बीड देवगढ़ पटवार हल्का स्वादडी बी देवगढ़ के खाता नम्बर 107/95 के आराजी नम्बर 154/35 रकबा 20.04 विस्वा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्र जारी करा मौके पर पत्थरगढी करा मौके परचा पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

  
सहायक कलेक्टर  
देवगढ़, जिला राजसमन्द अधिकारी  
देवगढ़ जिला-राजसमन्द